कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक– 135 /12–1, कोटबंगला, दिनांक 11 / 07 / 2025

सेवा में,

महा प्रबन्धक,
विन्धिया टेलीलिंक्स लिमिटेड,
मकान नं0–50, फेज–3
इंजीनियर्स एन्क्लेव
जी0एम0एस0 रोड, देहरादून।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी में बड़ेथी से जोशियाड़ा तक लम्बाई कि0मी0 4.9 के अन्तर्गत विंद्या टेलीलिंक्स लि0 द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु 0.147 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु विन्धिया टेलीलिंक्स लि0 को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ :– इस कार्यालय का पत्रांक– VTLEPC/TEL/UK/52, दिनांक– 03.07.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 738/X-4-19/2(24)/2019 दिनांक– 09.09.2019 के द्वारा उक्त परियोजना हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त सं0–4 अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रख–रखाव किया जायेगा, जिस हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या– 1049/12–1, दिनांक– 19.09.2024 द्वारा पूर्व में आपको डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया था, किन्तु आपके द्वारा उक्त के अनुपालन में धनराशि वर्तमान समय तक जमा नहीं की गई।

प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक संख्या– क–1191/3–5–2 (एफ0सी0), दिनांक 26.03.2025 से जारी वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2025–26 हेतु निर्धारित रू0 2143 प्रति वृक्ष के आधार पर उपरोक्त दरों का निर्धारण किया गया है, जिस हेतु संशोधित डिमाण्ड नोट निम्नानुसार है –

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	काटे जाने वाले 100 वृक्षों के दस गुना यानि 100X10=1000 वृक्षों के वृक्षारोपण हेतु।	100 वृक्ष	2143 प्रति वृक्ष	214,300.00
			योगः–	**214,300.00**

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संशोधित डिमाण्ड नोट का (**Challan Generate**) कर ऑनलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि की चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि परियोजना हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही समय से की जा सके।

इस सम्बन्ध में आपको यह भी अवगत कराना है कि वर्ष 2024–25 एवं आगे के वर्षों में वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों के सापेक्ष वृक्षरोपण कार्य हेतु धनराशि पुनरीक्षण का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। शासन से वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष वृक्षारोपण कार्यों हेतु धनराशि का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने तक वर्ष 2025–26 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक– 30.11.1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अनन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है, जिस आधार पर उपरोक्तानुसार धनराशि आपसे जमा कराई जा रही है। यदि शासन स्तर से पुनरीक्षित दरों का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो आपके द्वारा अतिरिक्त धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष

में किया जायेगा इसकी वचनबद्वता/प्रमाण पत्र उपरोक्त डिमाण्ड के चालान जनरेट/धनराशि जमा करने से पूर्व इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

इसके अतिरिक्त शर्त सं0–15 के अनुपालन में वन भूमि का मूल्य एवं लीज रेंट जमा कराते हुये तथा शर्त सं0–16 के अनुपालन में पट्टा विलेख का आलेख्य शासन के विधीक्षण हेतु तैयार करवाने हेतु पत्र लिखा गया था, जिसकी सूचना/आख्या आतिथि तक इस कार्यालय को अप्राप्त है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए सैद्वान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, शासन से पट्टा विलेख विधीक्षित होने व पट्टा विलेख निस्पादन होने के पश्चात ही आपको प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

भवदीय,

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 135 /12–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।